

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

<p>14.</p>	<p>स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई।</p> <p>क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।</p>	<p>भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत दिल्ली-अलीगढ़ मार्ग (एन0एच0-91) किमी0 126 के चैनेज 125.910 दांयी पटरी खसरा संख्या- 28, ग्राम सिकन्दरपुर भुकरावली, तहसील- कोल, जनपद- अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.055668 हे0 संरक्षित वनभूमि बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।</p> <p style="text-align: center;">नहीं</p>
<p>15.</p>	<p>क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।</p>	<p style="text-align: center;">हाँ</p>
<p>16.</p>	<p>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।</p>	<p>प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।</p>

तिथि:- 12.10.17
स्थान:- अलीगढ़।


(बी0 प्रभाकर)
 वन संरक्षक,
 अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
 12